

[2024] 7 एस.सी.आर 1175 : 2024 आईएनएससी 564

दिल्ली परिवहन निगम

बनाम

अशोक कुमार शर्मा

(सिविल अपील सं. 290/2014)

18 जुलाई 2024

[माननीय न्या. श्री संदीप मेहता और माननीय न्या. श्री आर. महादेवन]

विचारणीय मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय द्वारा आरोपित अधिकारी की पदच्युति को अपास्त करने वाले अधिकरण द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाना चाहिए।

हेडनोट्स

प्रशासनिक विधि - अनुशासनात्मक कार्यवाही - अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा आज्ञापक अनुपालन - तथ्यों के आधार पर, अधिकारी को आरोप ज्ञापन जारी किया गया - अनुशासनात्मक जांच की गई और आरोपित अधिकारी के विरुद्ध आठ में से सात आरोप प्रमाणित हुए - आरोपित अधिकारी को नोटिस जारी किया गया - इसके बाद, आरोपित अधिकारी को सेवा से पदच्युत कर दिया गया - चुनौती - अधिकरण ने पदच्युति आदेश को अपास्त कर दिया - उक्त आदेश को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा - शुद्धता:

अभिनिर्धारित किया गया: अनुशासनात्मक प्राधिकरण को जांच रिपोर्ट में निष्कर्षों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए, उसके

बाद आरोपित अधिकारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए और उसके बाद ही आरोपित अधिकारी के विरुद्ध सेवा से पदच्युति जैसी बड़ी शास्ति अधिरोपित करने का आदेश पारित किया जा सकता है- तथ्यों के आधार पर, आरोपित अधिकारी को सेवा से पदच्युत करने में निगम की कार्यवाही में घातक कमियां थीं, क्योंकि यह बिना सोचे-समझे और बिना बोले ही की गई थी- दोनों अनिवार्य अनुपालनों में से कोई भी नहीं किया गया- आरोपित अधिकारी के उत्तर को संदर्भित करते हुए कारण बताओ नोटिस और कार्यसूची मद को आंख मूंदकर अनुमोदित करने के अलावा, बोर्ड के प्रस्ताव में बोर्ड के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जांच रिपोर्ट पर स्वतंत्र या वस्तुनिष्ठ विचार नहीं दर्शाया गया- जांच रिपोर्ट में घातक खामी थी, जो मामले की जड़ तक जाती है, जिससे कार्यवाही प्रभावित हुई- विभागीय जांच के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से किसी साक्षी की परीक्षा नहीं की गई- जांच रिपोर्ट में कहीं भी यह अभिलिखित नहीं है कि आरोपित अधिकारी द्वारा कोई दस्तावेज स्वीकार किया गया था - चूंकि जांच कार्यवाही में विभाग की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया था, इसलिए जांच रिपोर्ट किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं थी - इस प्रकार, आरोपित अधिकारी द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करने में अधिकरण द्वारा कोई त्रुटि नहीं थी और उच्च न्यायालय ने इसे सही ठहराया। [पैरा 3, 16, 19, 21, 22]

मामला विधि उद्धृत

ए.एल. कालरा बनाम प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड [1984] 3 एससीआर 646 : (1984) 3 एससीसी 316; रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य [2008] 17 एससीआर 1476 : (2009) 2 एससीसी 570-संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

डीटीसी बैठक विनियम, 1981।

मुख्य शब्दों की सूची

प्रशासनिक विधि; अनुशासनात्मक कार्यवाही; अनुशासनात्मक प्राधिकरण; आरोप-ज्ञापन; अनुशासनात्मक जांच; सेवा से पदच्युति; सुनवाई का अवसर; गैर-भाषण आदेश; जांच रिपोर्ट।

मामला उद्भूत

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं 290/2014

रि.या.(सि) सं. 7661/2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक 12.03.2013 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारगण हेतु उपस्थितियाँ

डॉ. मोनिका गुप्तेन, अविनाश अहलावत, सुश्री ज्ञानवी, अवि धनखड़, अपीलार्थी हेतु अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थी-व्यक्तिगत रूप से।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

1. यह अपील विशेष अनुमति द्वारा अपीलार्थी-दिल्ली परिवहन निगम (इसके बाद 'निगम' के रूप में संदर्भित) द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान खंड न्यायपीठ द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2013 को दिए गए निर्णय को चुनौती देने के लिए प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी-निगम द्वारा प्रस्तुत रि.या.(सि) सं. 7661/2010 को खारिज कर दिया गया था, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई

दिल्ली (इसके बाद अधिकरण के रूप में संदर्भित) द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2010 को पारित निर्णय और अंतिम आदेश की वैधता और विधिमान्यता पर सवाल उठाया गया था। अधिकरण ने प्रत्यर्थी (इसके बाद 'आरोपित अधिकारी' के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर मूल आवेदन (संक्षेप में 'मू.आ.') सं. 1592/2009 को स्वीकार कर लिया और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (इसके बाद 'सीएमडी' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित दिनांक 24 अप्रैल, 2009 के आदेश को अपास्त कर दिया, जिसके अंतर्गत प्रत्यर्थी को सेवा से पदच्युत कर दिया गया।

2. हमने प्रस्तुत प्रस्तुतियों को सुना और उन पर विचार किया है तथा आक्षेपित निर्णय और अभिलिखित उपलब्ध तथ्यों का अध्ययन किया है।
3. प्रथम दृष्ट्या, हम पाते हैं कि अपीलार्थी-निगम द्वारा प्रत्यर्थी को सेवा से पदच्युत करने की कार्रवाई में घातक कमियाँ थीं, क्योंकि इसमें न तो मस्तिष्क का प्रयोग किया गया और न ही कोई बात कही गई।
4. अभिलिखित किए गए उपलब्ध निर्विवाद तथ्य दर्शाते हैं कि आरोपित अधिकारी को दिनांक 19 दिसंबर, 2006 को आरोप ज्ञापन जारी किया गया था तथा विभागीय जांच आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुशासनात्मक जांच की गई थी, जिसे अपीलार्थी निगम के सीएमडी द्वारा दिनांक 9 जुलाई, 2007 के आदेश के अंतर्गत जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी ने जांच की तथा आरोपित अधिकारी के विरुद्ध आठ में से सात आरोप सिद्ध पाए। सीएमडी द्वारा आरोपित अधिकारी को दिनांक 15 अप्रैल, 2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
5. आरोपित अधिकारी ने दिनांक 15 अप्रैल, 2009 को जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने के लिए मू.आ. सं. 1054/2009 दायर करके

अधिकरण का दरवाजा खटखटाया, इस आधार पर कि सीएमडी न तो आरोपित अधिकारी का नियुक्ति प्राधिकरण था और न ही अनुशासनात्मक प्राधिकरण।

6. अधिकरण ने मू.आ. सं. 1054/2009 का निपटान करते हुए जांच प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया कि वह पहले जांच प्राधिकरण की क्षमता के प्रश्न पर निर्णय ले तथा उसके बाद मामले के गुणागुण पर विचार करे। आरोपित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। तदनुसार, आरोपित अधिकारी ने अपीलार्थी-निगम को दिनांक 27 अप्रैल, 2009 को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। आरोपित अधिकारी को दिनांक 30 अप्रैल, 2009 को अपीलार्थी-निगम की सेवाओं से सेवानिवृत्त होना था।
7. अपीलार्थी निगम की ओर से यह दावा किया गया है कि आरोपित अधिकारी की आसन्न सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, डीटीसी बैठक विनियम, 1981 के विनियम 11 के अंतर्गत निगम के निदेशक मंडल को एक कार्यसूची परिचालित की गई थी, जिसमें सीएमडी द्वारा निम्नलिखित शब्दों में तैयार किए गए मुद्दों की एक सूची शामिल थी:

-

“(viii) सीएमडी ने निदेशक मंडल के विचारार्थ निम्नलिखित मुद्दे प्रस्तुत किए:

“(i) कारण बताओ नोटिस (उपाबंध-IV) को अनुमोदन प्रदान करना, जिसमें 'निगम की सेवाओं से पदच्युति' की शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव है, जैसा कि अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा समय के आभाव के कारण डीटीसी बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किया गया था,

क्योंकि आरोपित अधिकारी को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30-4-2009 को सेवानिवृत्त होना है।

(ii) मामले के तथ्यों और आरोपित अधिकारी द्वारा दिनांक 15-4-2009 को जारी कारण बताओ नोटिस (उपाबंध-IV) के उत्तर में प्रस्तुत उत्तर पर विचार करके मामले में निर्णय लेना, जो कि 'निगम की सेवाओं से पदच्युति' की शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में है। शास्ति की सूची उपाबंध-VI में है।

(iii) अध्यक्ष-सह-एमडी को श्री ए.के. शर्मा, उप मुख्य महाप्रबंधक पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित शास्ति अधिरोपित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने के लिए कहा गया है।

8. उपरोक्त के परिणामस्वरूप, दिनांक 29 अप्रैल, 2009 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षरों से प्रस्ताव सं. 14/2009 तैयार किया गया, जिसके अनुसार बोर्ड के सदस्यों ने कार्यसूची मद, आरोपित अधिकारी के उत्तर पर विचार किया तथा आरोपित अधिकारी को पूर्व में जारी दिनांक 15 अप्रैल, 2009 को जारी कारण बताओ नोटिस को अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा उसे सेवा से पदच्युत करने की सिफारिश की।
9. परिणामस्वरूप, दिनांक 29 अप्रैल, 2009 को सीएमडी द्वारा आरोपित अधिकारी को सेवा से पदच्युत करने का आदेश पारित किया गया। आरोपित अधिकारी अर्थात् प्रत्यर्थी ने उक्त पदच्युति आदेश को चुनौती देने के लिए अधिकरण के समक्ष मू.आ. सं. 1592/2009 दायर किया, जिसे अधिकरण ने दिनांक 1 जुलाई, 2010 के निर्णय के अंतर्गत स्वीकार कर लिया।

10. अपीलार्थी-निगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान खंड न्यायपीठ के समक्ष रि.या.(सि) सं. 7661/2010 दायर करके अधिकरण द्वारा पारित आदेश को असफलतापूर्वक चुनौती दी, जिसने दिनांक 12 मार्च, 2013 के आदेश के अंतर्गत उसे खारिज कर दिया। व्यथित होकर, अपीलार्थी-निगम ने विशेष अनुमति द्वारा तत्काल अपील दायर की है।
11. इस न्यायालय ने दिनांक 16 अगस्त, 2013 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया। मामले में अनुमति दिनांक 10 जनवरी, 2014 को प्रदान की गई।

अपीलार्थी-निगम की ओर से प्रस्तुतिकरण:-

12. अपीलार्थी निगम की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मोनिका गुसाई ने दृढ़तापूर्वक और उत्साहपूर्वक प्रतिवाद किया कि अपीलार्थी पर लगाए गए आरोपों का विवरण देने वाली कार्यसूची बोर्ड के सदस्यों के बीच प्रसारित की गई थी; जिन्होंने कार्यसूची मद पर अपने विचार व्यक्त किए; दिनांक 15 अप्रैल, 2009 को कारण बताओ नोटिस को अनुमोदित करने का एक सुविचारित निर्णय लिया; और आरोपित अधिकारी के विरुद्ध निगम की सेवाओं से पदच्युति की प्रस्तावित शास्ति को भी अनुमोदित किया।
13. उन्होंने आग्रह किया कि आरोपित अधिकारी पर सेवाओं से पदच्युति की शास्ति अधिरोपित करने का अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों का एक सामूहिक निर्णय था, जिसके अंतर्गत आरोपित अधिकारी के उत्तर सहित अभिलिखित सभी तथ्यों पर विचार किया गया था। इसलिए, इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि निदेशक मंडल के सदस्य उचित विचार के साथ कार्यसूची मद पर वस्तुनिष्ठ विचार करने में

विफल रहे। इस प्रकार उसने न्यायालय से अपील स्वीकार करने और आक्षेपित निर्णय को पलटने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थी-व्यक्तिगत रूप से - आरोपित अधिकारी की ओर से प्रस्तुतियाँ:-

14. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रतिवाद किया कि दिनांक 29 अप्रैल, 2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पूरी तरह से मस्तिष्क का प्रयोग न करने की बात झलकती है। कार्यवृत्त में मामले के गुणागुण पर बोर्ड के किसी भी सदस्य की राय की अभिव्यक्ति की फुसफुसाहट भी नहीं है और इस प्रकार, प्रत्यर्थी को सेवा से पदच्युत करने का प्रस्ताव विधि की दृष्टि में प्रथम दृष्ट्या गलत है और अधिकरण द्वारा इसमें हस्तक्षेप करना सही था। उसने आगे प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण के निर्णय की पुष्टि करना पूर्ण रूप से उचित था और उसने न्यायालय से अपीलार्थी-निगम द्वारा दायर तत्काल अपील को खारिज करने की प्रार्थना की।
15. हमने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी की ओर से व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों पर गहन विचार किया है तथा आक्षेपित निर्णयों और दिनांक 29 अप्रैल, 2009 के विवादास्पद प्रस्ताव का भी अध्ययन किया है।

चर्चा और निष्कर्ष:-

16. हम पाते हैं कि सबसे पहले, बोर्ड द्वारा दिनांक 15 अप्रैल, 2009 को सीएमडी द्वारा आरोपित अधिकारी को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के भूतलक्षी प्रभाव पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। प्रशासनिक विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच रिपोर्ट में निष्कर्षों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए और उसके बाद आरोपी अधिकारी को सुनवाई का अवसर देना चाहिए और उसके बाद ही

आरोपी अधिकारी के विरुद्ध बड़ी शास्ति अधिरोपित करने का आदेश पारित किया जा सकता है। यह भी सुस्थापित विधि है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण को सेवा से पदच्युति जैसी बड़ी शास्ति को लागू करने से पहले आरोपित अधिकारी को सुनवाई का अवसर देना चाहिए। बोर्ड द्वारा इन दोनों अनिवार्य अनुपालनों में से कोई भी अनुपालन नहीं किया गया।

17. इसके अलावा, बोर्ड के विचारार्थ सीएमडी द्वारा परिचालित कार्यसूची मद (पूर्वोक्त उद्धृत) स्पष्ट रूप से उपदर्शित करता है कि बोर्ड को मामले के तथ्यों और दिनांक 15 अप्रैल, 2009 को कारण बताओ नोटिस के उत्तर में आरोपी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करते हुए मामले में निर्णय लेना था। यद्यपि, आरोपित अधिकारी के उत्तर को संदर्भित करते हुए कारण बताओ नोटिस और कार्यसूची मद को आँख मूंदकर अनुमोदित करने के अलावा, दिनांक 29 अप्रैल, 2009 को बोर्ड के प्रस्ताव में बोर्ड के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जाँच रिपोर्ट पर किसी भी स्वतंत्र या वस्तुनिष्ठ विचार को प्रतिबिंबित नहीं किया गया है। इस संबंध में, ए.एल. कालरा बनाम प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड¹ के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसका प्रासंगिक पैराग्राफ तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है: -

“29. स्थिति इस तथ्य से और भी जटिल हो जाती है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण जो कोई और नहीं बल्कि निगम की प्रबंधन समिति है, ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट को स्वीकार करते समय, जो स्वयं दोषपूर्ण थी, जांच अधिकारी की रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए कोई कारण नहीं

¹

बताए। जांच अधिकारी के निष्कर्षों को उद्धृत करने के बाद, यह कहा गया है कि प्रबंधन समिति उससे सहमत है। यह समझना भी कठिन है कि प्रबंधन समिति जांच अधिकारी की टिप्पणियों से कैसे सहमत हुई, क्योंकि एक बार साक्ष्यों को दोहराते समय जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि अपीलार्थी को दोहरा दंड दिया गया था और दूसरी जगह, यह देखा गया कि समय का विस्तार देना और दस्तावेजों और शेष अग्रिम को स्वीकार करना समय विस्तारण के समान होगा, जिससे मामला पूर्ण रूप से अनपकारी लगेगा। यह अनुशासनात्मक प्राधिकरण के विवेक का पूर्ण अभाव दर्शाता है और आदेश दोषपूर्ण रहता है।”

18. इसके अलावा, हमने जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया है जिसे अपील के साथ अभिलिखित किया गया है। हम पाते हैं कि आक्षेपित कार्रवाई का मूल आधार अर्थात् जांच रिपोर्ट एक घातक कमी से ग्रस्त है जो मामले की जड़ तक जाती है जिससे कार्यवाही प्रभावित होती है। रिपोर्ट को पढ़ने पर, हम पाते हैं कि जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है (पेपर-बुक के पेज नंबर 39 पर) कि अभियोजन पक्ष ने नियमित सुनवाई के दौरान न तो कोई साक्षी सूचीबद्ध किया और न ही पेश किया और अभियोजन पक्ष का मामला प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की सहमति से बंद कर दिया गया।
19. इस संबंध में सुश्री गुसाईं से पूछे गए प्रासंगिक प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि विभागीय जांच के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से किसी साक्षी से पूछताछ नहीं की गई, जो तथ्य जांच रिपोर्ट (उपाबंध पी-1) से भी स्पष्ट होता है।

20. [रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य](#) के मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि एकपक्षीय जांच के मामले में भी, यह आवश्यक है कि विभाग अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए साक्षियों के साक्ष्य प्रस्तुत करे।
21. सुश्री गोसाईं ने न्यायालय को यह समझाने का बहुत कम प्रयास किया कि विभाग के मामले के समर्थन में चिन्हित किए गए दस्तावेज (प्रदर्श 51-53) निर्णायक रूप से आरोपित अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के लिए उसके अपराध को स्थापित करते हैं। सुश्री गुसाईं के अनुसार, आरोपित अधिकारी द्वारा इन दस्तावेजों को स्वीकार किया गया था। यद्यपि, जांच रिपोर्ट में यह कहीं भी अभिलिखित नहीं है कि आरोपित अधिकारी द्वारा किसी भी दस्तावेज को स्वीकार किया गया था। चूंकि जांच कार्यवाही में विभाग की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि जांच रिपोर्ट किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है।
22. परिणामस्वरूप, हमारा मानना है कि अधिकरण ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन को स्वीकार करते समय कोई भी त्रुटि नहीं की है और उच्च न्यायालय की विद्वान खंड न्यायपीठ ने अधिकरण के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार करके सही किया है।
23. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, अपील को गुणागुण रहित मानते हुए खारिज किया जाता है। जुर्माने के संबंध में कोई आदेश नहीं।
24. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान किया जाता है।
-

मामले का परिणाम: अपील खारिज।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट: निधि जैन

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.